

२५/०५/२०२२ पत्रावली पेश हुई। प्राची मधिवक्ता
 उपस्थित। मूल-वाद उक्तगीत धारा
 ५३, १८८ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
 मूल वाद ३७/२०२। इस प्रार्थना-पत्र
 का मूल वाद था। जिसे २५/०५/२०२२
 को जरिये विद्वे खारिज किया जा चुका
 है। अतः प्रार्थना-पत्र का खारिज करना
 का कोई औचित्य नहीं है। मूल-वाद
 मौसल ही जाने से प्रार्थना-पत्र स्वतः
 ही समाप्त हो जाता है। अतः प्रार्थना-
 पत्र का निरस्त किया जाता है।

पूजावली मौसल शुमाट डिकट
 नम्बर से कम हाखिल दफतर है।

सहायक कलेक्टर
 अपरखण्ड अधिकारी, बाणदी



सहायक कलेक्टर
 अपरखण्ड अधिकारी, बाणदी